आयोजनेत्तर

संख्याः– 656 / III(2) / 05– 20(बजट) / 2005

प्रेषक,

टी0के0 पन्त,
संयुक्तसचिव,
उत्तराचल शासन ।

सेवामे,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लो0नि0वि0,देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 27 मई, 2005

विषयः– वित्तीय वर्ष 2005–2006 मे राजभवन देहरादून परिसर/ राजभवन नैनीताल परिसर के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 151/86 बजट(रा0भ0–दे0/नै0)/05–06, दिनांक– 08 अप्रैल, 2005 के संदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005–06 मे राजभवन,देहरादून परिसर/राजभवन नैनीताल परिसर के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु (आयोजनेत्तर) मद मे प्राविधानित धनराशि संलग्न विवरणानुसार क्रमशः रू0 94.70 लाख (रूपये चौरानवे लाख सत्तर हजार मात्र) एवं रू0 32.00 लाख (रू0 बत्तीस लाख मात्र) अर्थात कुल रू0 126.70 लाख (रू0 एक करोड छब्बीस लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यथा आवश्यकता उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा,जो विगत वर्ष के वास्तविक व्यय के अनुरूप हो और अनुरक्षण लोक निर्माण विभाग के मानक के अनुसार निर्गत शासनादेशो की व्यवस्थानुसार ही किया जायेगा ।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का मासिक आवश्यकता के आधार पर निर्धारित नियमानुसार ही कोषागार से आहरण किया जायेगा,यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रथमतः वरियता में चालू/निर्माणाधीन योजनाओ पर ही किया जायेगा । शासन की पूर्वानुमति के बिना नई योजनाओ पर धनराशि का व्यय कदापि नही किया जायेगा, कार्यवार आबंटित धनराशि की सूचना शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी।

3– यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि व्यय चालू कार्य पर कार्य की पूर्ण अनुमानित लागत की सीमा तक ही किया जाये,व्यय उन्ही मदो मे किया जायेगा । जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

4– व्यय करने से पूर्व जिन मामलो मे बजट मैनुअल,वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशो के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो,उनमे व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय । निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनो /पुनरीक्षित आगणनो पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनो पर सक्षम अधिकारी की तकनिकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय ।

5– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगे ।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.06 तक पूर्ण उपयोग कर उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

क्रमशः ...2...

6– इस संबध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–2006 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक–2059–लोक निर्माण कार्य–01 कार्यालय भवन –आयोजनेत्तर–053–रखरखाव तथा मरम्मत (लघु लेखाशीर्षक–052 के स्थान)–03–रखरखाव एवं मरम्मत (भारित) 01–राजभवन देहरादून परिसर भवन एवं 02 राजभवन नैनीताल परिसर के अर्न्तगत संलग्नक मे उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयो के नामे डाला जायेगा ।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. सं0– 231 / वित्त अनुभाग–3 / 05,दिनांक– 05.05.2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः– यथोक्त।

भवदीय,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 656 (1) / III (2) / 05 ,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तराचल,इलाहाबाद / देहरादून ।
2– सचिव श्री राज्यपाल,सचिवालय,देहरादून।
3– आयुक्त गढवाल / कुमायू मंडल, पौडी / नैनीताल।
4– जिलाधिकारी / कोषाधिकारी, देहरादून / नैनीताल।
5– मुख्य अभियन्ता, गढवाल / कुमायू क्षेत्र,लो0नि0वि0, पौडी / अल्मोड़ा।
6– निदेशक,राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– वित्त अनुभाग–3 / वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
8– लोक निर्माण अनुभाग–1 / 3 उत्तरांचल शासन / गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश सं0 – 656/ III–2/05– 20(बजट)/2005 दिनांक 27 मई, 2005 का संलग्नक।

अनुदान संख्या– 22
लेखाशीर्षक– 2059–राजभवन देहरादून परिसर का रखरखाव तथा मरम्मत (आयोजनेत्तर)
लेखाशीर्षक – 2059–0–053–03–01 राजभवन देहरादून परिसर (भारित)

कम संख्या	विवरण	आबंटन (हजार रू0 मे)
01	09 विद्युत देय	740
02	10 जलकर /जल प्रभार	225
03	17– किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	30
04	25– लघु निर्माण कार्य	2000
05	29– अनुरक्षण	6475
	योग :–	9470

2059–01–053–0302 राजभवन नैनीताल परिसर (आयोजनेत्तर) (भारित)

01	09–विद्युत देय	700
02	29– अनुरक्षण	2500
	योगः–	3200
	महायोग :–	12670

(रू0 एक करोड छब्बीस लाख सत्तर हजार मात्र)

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।